



प्रेषक,

मनोज कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 14 मार्च, 2026

विषय:- महाभारत सर्किट के अन्तर्गत 'गीता कान्क्लेव श्रृंखला' के आयोजन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 4283/सं०नि०-15(107)/2025-26 दिनांक 06.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि महाभारत सर्किट के अन्तर्गत 'गीता कान्क्लेव श्रृंखला' के कार्यक्रम के आयोजन हेतु धनराशि **रु० 9.85 लाख (रुपये-नौ लाख पच्चासी हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

2- उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार महाभारत सर्किट के अन्तर्गत 'गीता कान्क्लेव श्रृंखला' के कार्यक्रम के आयोजन हेतु **रु० 9.85 लाख (रुपये-नौ लाख पच्चासी हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तें /प्रतिबंधों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

शर्तें/ प्रतिबन्ध:-

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (3) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
- (4) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
- (6) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
- (7) सम्बन्धित संस्था/कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान/कलाकार के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुये यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
- (8) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निर्वर्तन पर है. अतः बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

- (9) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय **रु० 9.85 लाख (रुपये-नौ लाख पच्चासी हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक अनुदान सं० 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्धन-19-विभिन्न अवसरों प सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42 अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

- प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
 - 2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
 - 3- जिलाधिकारी, मुरादाबाद।
 - 4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
 - 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
 - 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनुसचिव।